




सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रायपुर जिला भीलवाड़ा

अनवान

भैरु लाल कौर बनाम मोहनलाल कौर

मुकदमा धारा 88-188 RTA मु0न0 120 सन 2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख जो इस हुकम की तामिल में जारी हुई
26/12/24	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी/वादीगण का वाद पत्र प्रार्थी/प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88-188 RTA के तहत पेश हुआ जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रस्तुत हुआ। प्रतिवादीगण/विपक्षीगण को सम्मन मय नकल जारी हो। पत्रावली बाद तामिल तकमील वास्ते जवाब प्रतिवादीगण/विपक्षीगण दिनांक 20/1/25 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">             सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)            रायपुर जिला भीलवाड़ा         </p>	
20/1/25	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उपस्थित हो। अन्तर्गत तामिल में होने से पत्रावली देने वाले तामिल दि 24/1/25 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">             सहायक कलक्टर            (एस.डी.ओ.) रायपुर         </p>	
24/2/25	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उपस्थित हो। वादी वकील के द्वारा उपरण में NOT Press करते हुये विपक्षीगण/विपक्षीगण को उपरण में आने कोर करवायी गयी। उपरण को 24/2/25 परमाप्त आये।</p> <p>वादी वकील के द्वारा विपक्षीगण को विपक्षीगण में NOT Press के आधार पर माफ में आगयी करवायी गये करते हुये उपरण इसी आधार पर 24/2/25 परमाप्त आये। पत्रावली के तहत मुकदमा खोला गया है।</p> <p style="text-align: center;">  </p>	<p>Not press</p>